उपभोक्ता कल्याण निधि नियम,1992

तथा

संशोधित दिशा-निर्देश-2007

2007

उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम,1992*

सा.का.नि. 895(अ) - केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 12 घ के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता कल्याण निधि नियम,1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'अधिनियम' से तात्पर्य यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम,1944 (1944 का 1) या सीमा शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52) है;

* मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 29/92 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी) दिनांक 25.11.1992 (सा.का.नि. 895 (अ) दिनांक 25.11.1992 द्वारा प्रकाशित किए गए)

**(ख) 'आवेदक से उपभोक्ता सहकारिताओं, विशिष्टतया महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की ग्राम-मंडल/समिति स्तर की उपभोक्ता सहकारिताओं या औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) में यथा परिभाषित ऐसे उद्योग जिसकी ब्यूरो द्वारा सिफारिश की गई है कि वह पाँच वर्ष की अवधि से किसी ऐसी जीवनक्षम और उपयोगी अनुसंधान क्रियाकलाप में लगा हुआ है। जिसने सामूहिक उपभोग के उत्पादों का मानक चिह्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है या करने की संभावना है या राज्य सरकार सहित कम्पनी अधिनियम,1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण/संगठन जो, तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलाओं में लगा है अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इन नियमों के नियम 8 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट विधिक खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता भी है';

*उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,1994, जिन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3/94 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 27.1.1994 (सा.का.नि.

नियम से 33(अ) दिनांक 27.1.1994 को प्रकाशित किया गया था, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।)

** भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 23/202 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी) दिनांक 13 जून,2002 (सा.का.नि. 430 (अ) दिनांक 13.6.2002 के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) 'आवेदन' से इन नियमों के संलग्न प्ररूप का 1 में कोई आवेदन अभिप्रेत है;

(घ) 'ब्यूरो' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,1986 (1986 का 68) के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ड.) 'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद' से उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रोन्नति और संरक्षण के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 (1986 का 68) की धारा 4 की उपधारा(1) के अधीन स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद अभिप्रेत है;

(च) 'समिति' से नियम 5 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

मुख्य नियमों को अधिसूचना संख्या 29/92 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी) दिनांक 25.11.1992 (सा.का.नि. 895(अ) दिनांक 25.11.1992 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(छ) 'उपभोक्ता' का वही अर्थ है जो उसका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (घ) में है, और उसके अंतर्गत उस माल का जिस पर शुल्क संदत्त किया जा चुका है, उपभोक्ता है;

(ज) 'उपभोक्ता कल्याण निधि' से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम,1944 (1944 का 1) की धारा 12ग की उपधारा(1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित निधि अभिप्रेत है;

(झ) 'शुल्क' से अधिनियम के अधीन संदत्त शुल्क अभिप्रेत है;

*(झक) 'उचित अधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के अधीन यह आदेश करने की शक्ति है कि सम्पूर्ण शुल्क या उसका कोई भाग प्रतिदेय है।

(त्र) 'मानक चिह्न' का वही अर्थ है जो उसका भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,1986 (1986 का 68) की धारा 2 के खंड (I) में है;

(ट) उपभोक्ताओं का कल्याण के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रोन्नति और उनका संरक्षण है;

(ठ) उन शब्दों और पदों को, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 (1986 का 68) में परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो उनका उस अधिनियम में क्रमश: है।

3. उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना:

केंद्रीय सरकार के पास उपभोक्ता कल्याण निधि स्थापित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम,1944 (1944 का 1) की धारा 12ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अन्य धन के साथ शुल्क की रकमों की पावना और विनिधानों से आय प्रत्याशित की जाएगी:

* भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3/94 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी) दिनांक 17.1.1994 द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1994(सा.का.नि. सं. 33(अ) दिनांक 27.1.1994) द्वारा अंत:स्थापित।

परन्तु यह कि ऐसी किसी रकम का, जिसके बारे में निधि में जमा जाने के पश्चात समुचित अधिकारी अपील प्राधिकारी या न्यायालय के आदेशों किसी दावेदार को संदेय के रूप में आदेश दिया जाता है या निदेश दिया जाता है, निधि से संदाय किया जाएगा।

4. उपभोक्ता कल्याण निधि के लेखाओं और अभिलेखों का अनुरक्षण:

उपभोक्ता कल्याण निधि के संबंध में उचित और पृथक लेखाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा रखा जाएगा और उनकी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

5. समिति का गठन:

(1) उपनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित समिति इन नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा किए गए धन के उचित उपयोग के लिए सिफारिशें करेगी।

(2) समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात:-

+(क) उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव, जो समिति का अध्यक्ष होगा:

(ख) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में सचिव या उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जो समिति का उपाध्यक्ष होगा;

**(ग) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड का अध्यक्ष अथवा कोई अधिकारी जिसका रैंक संयुक्त सचिव से कम न हो;

*** (घ) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) का सदस्य अथवा कोई अधिकारी जिसका रैंक संयुक्त सचिव से कम न हो।

#(ड.) सचिव/संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार(निगरानी), ग्रामीण विकास विभाग;

* भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 23/2002 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 13 जून,2002 (सा.का.नि.सं. 430 (अ) दिनांक 13.6.2002) के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,2002 द्वारा प्रतिस्थापित।

** भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 23/2002 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 13 जून,2002 (सा.का.नि.सं. 430 (अ) दिनांक 13.6.2002) के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,2002 द्वारा प्रतिस्थापित।

*** भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 23/2002 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 13 जून,2002 (सा.का.नि.सं. 430 (अ) दिनांक 13.6.2002) के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,2002 द्वारा प्रतिस्थापित।

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 23/2002 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 13 जून,2002 (सा.का.नि.सं. 430 (अ) दिनांक 13.6.2002) के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,2002 द्वारा प्रतिस्थापित।

##(च) महानिदेशक/अपर महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो;

!!(छ) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रभारी अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जो समिति का सदस्य सचिव भी होगा।

परन्तु यथास्थिति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और उपभोक्ता समन्वय परिषद के एक नामनिर्देशित को, जब कभी आवश्यक हो, अधिवेशनों में आमंत्रित कर सकेंगे।

(3) समिति स्थायी समिति होगी।

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 25/94 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 16.6.94 (सा.का.नि.सं. 515 (अ) दिनांक 16.6.94) के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,1994 द्वारा अंत:स्थापित।

!! भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 01/95 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 16.1.95 (सा.का.नि.सं. 29 (अ) दिनांक 16.1.95) के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,1995 द्वारा अंत:स्थापित।

!!! उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,1994 द्वारा 27.1.94 से अंत:स्थापित।

6. **'कारबार के संचालन की प्रक्रिया'**

(1) समिति की, जब कभी आवश्यक हो, बैठक होगी, किन्तु किन्हीं भी दो बैठकों के बीच तीन मास से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में समिति का उपाध्यक्ष ठीक समझे।

(3) समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा1

(4) समिति की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को लिखित सूचना देकर, जो ऐसी सूचना के जारी किए जाने की तारीख से दस दिन से कम की नहीं होगी, बुलाई जाएगी।

(5) समिति की बैठक की प्रत्येक सूचना में समिति का स्थान और दिन और समय विनिर्दिष्ट होगा और उसमें संव्यवहृत किए जाने वाले कारबार का विवरण होगा।

(6) समिति की कोई कार्यवाही तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा न की गई हो और कम से कम तीन अन्य सदस्य उपस्थित न हो।

* शीर्षक को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3/94 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 27.1.94 (सा.का.नि.सं. 33(अ) दिनांक 27.1.94) के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,1994 द्वारा अंत:स्थापित।

** भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 10/95 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 16.1.95 (सा.का.नि.सं.29(अ) दिनांक 16.1.95) के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,1995 द्वारा अंत:स्थापित।

7. समिति की शक्तियां और कृत्य:

(1) समिति को :

(क) किसी आवेदक से उसके समक्ष या यथा स्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, लिखितों अथवा आवेदक की अभिरक्षा और नियंत्रण में वस्तुओं को, जो आवेदन के समुचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने;

(ख) किसी आवेदक से किन्हीं ऐसे परिसरों में, जहां से ऐसे क्रियाकलापों का,

जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि वे उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए हैं, किया जाना कथित है, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्यकरूप से प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जाने की अपेक्षा करने की;

(ग) आवेदक के लेखाओं की, अनुदान का उचित उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए लोखा परीक्षा करवाए जाने;

(घ) किसी आवेदक से, किसी व्यतिक्रम या उसकी ओर से तात्विक जानकारी को छिपाने की दशा में समिति के मंजूर किए गए अनुदान का एकमुश्त प्रतिदाय करने और अधिनियम के अधीन अभियोजन के अध्यधीन की अपेक्षा करने;

(ड.) किसी आवेदक से अधिनियम के उपबंधों के अनुसार देय किसी को वसूल करने;

(च) किसी आवेदक या किसी वर्ग के आवेदकों से अनुदान के उचित उपयोग को उपदर्शित करने वाली कालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने;

(छ) वास्तविक असंगतता होने या तात्विक विशिष्टियों में अशुद्धता के आधार पर उसके समक्ष रखे गए किसी आवेदन को नामंजूर;

(ज) किसी आवेदक को, उसकी वित्तीय प्रास्थिति और किए गए क्रियाकलाप के महत्व और उसकी प्रकृति की उपयोगिता को रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि दी गई वित्तीय सहायता का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, अनुदान के रूप में सहायता की सिफारिश करने;

(झ) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद या ब्यूरो से उपभोता कल्याण निधि में से व्यय उपगत करने के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं/प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मोटे तौरपर मार्ग दर्शन करने की अपेक्षा करने।

(त्र) फायदाप्रद और सुरक्षित सेक्टरों का, जहां उपभोक्ता कल्याण निधि से विनिधान किया जा सकता है, परिलक्षित.... सिफारिशें करने की शक्ति होगी।

(ट) नियम 2 के खंड 2 में यथाविनिर्दिष्ट किसी आवेदक के उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में व्यस्त रहने की अवधि के लिए अपेक्षित शर्तों को शिथिल करना।

(ठ) उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंधन और प्रशासन के लिए दिशा-निर्देश बनाना।

(2) समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि उसमें तात्विक ब्यौरों की जांच न कर ली हो और सदस्य सचिव द्वारा तदनुसार विचार करने के लिए सिफारिश न की हो1

8. उपभोक्ता कल्याण निधि में उपलब्ध जमा रकम के उपयोग के लिए प्रयोजनों का विनिर्देशन:

समिति निम्नलिखित के लिए सिफारिशें करेगी:

(क) किसी आवेदक को अनुदान उपलब्ध कराना;

(ख) उन मानक चिह्नों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए आवश्यक समझे जाएं, संबंधित क्रियाकलापों के लिए ब्यूरो द्वारा सिफारिश किए गए अनुदानों को उपलब्ध कराना;

* भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 23/2002 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 13जून,2002, (सा.का.नि.सं.430(अ) दिनांक 13.6.2002) के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,2002 द्वारा अंत:स्थापित।

** भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 23/2002 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 13जून,2002, (सा.का.नि.सं.430(अ) दिनांक 13.6.2002) के तहत प्रकाशित उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,2002 द्वारा अंत:स्थापित।

(ग) उपभोक्ता कल्याण निधि में उपलब्ध धन का विनिधान;

(घ) किसी उपभोक्ता विवाद में, उसके अंतिम न्याय निर्णायन के पश्चात परिवादी या किसी वर्ग के परिवादियों द्वारा उपगत विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान* (चुनिंदा आधार पर) उपलब्ध कराना;

(ड.) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षणपरिषद द्वारा सिफारिश किए गए किसी अन्य प्रयोजनों के लिए **(जिसे समिति द्वारा समुचित समझा जाए) अनुदान उपलब्ध कराना।

* उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,1944 दिनांक 27.1.1994 को प्रतिस्थापित किया गया।

** उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम,1994 (सा.का.नि.सं. 33(अ) दिनांक 27.1.1994) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

प्रारूप क-1

(उपभोक्ता कल्याण निधि नियम,1992 का नियम 8 देखिए)

महत्वपूर्ण: कृपया सही ब्यौरे देते हुए, जिन्हें मांगा गया है और जो सत्यापनीय कार्यकलापों को सही स्थिति पर आधारित हों किसी तात्विक जानकारी को छिपाए बिना, जिसे करने से अधिनियम के अधीन अभियोजन बनाया जा सकेगा, इस प्रारूप को भरें।

1. आवेदक का नाम और डाक का पूरा पता

2. नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन आवेदक की प्रस्थिति

3. स्थापना की तारीख

4. क्या सोसाइटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (1860 का 21) या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन रजिस्टीकृत है1

5. यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण संख्या और वर्ष (रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न कीजिए)।

6. क्या संगठन राष्ट्रीय/राज्य स्तर का है?

7. प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या तथा पदाधिकारियों के नाम, पते और उपजीविका की सूची।

8. संगठन, उसके उद्देश्यों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा।

9. प्रयोजन जिसके लिए रकम अपेक्षित है (कृपया परियोजना के ब्यौरे और उसका प्रस्तावित कार्यान्वयन कथित करें)।

10. अपेक्षित अनुदान का रकम अनावर्ती/आवर्ती के अधीन मदवार ब्यौरे संलग्न कीजिए।

11. किए गए क्रियाकलापों की समय अनुसूची।

12. आवेदक द्वारा उपमत/विनिहित या आवेदक द्वारा उपमत की जाने वाली कुल रकम।

13. अतिशेष रकम के निधिकरण के स्रोत क्या संगठन किसी अन्य शासकीय/गैर शासकीय स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है, यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए।

14. पिछले पाँच वर्ष के दौरान आवेदक के विरुद्ध किसी न्यायालय में प्रारंभ किए गए किसी अभियोजन, यदि कोई हो, का ब्यौरा।

15. निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जानी हैं :-

(1) संस्था का गठन और संस्था के अंतर्नियम;

(2) संगठन की गत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (कृपया प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें)।

(3) गत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लेखाओं का वार्षिक लेखा-परीक्षित विवरण जिसे सनदी लेखाकार द्वारा बाकायदा हस्ताक्षर किए गए हों। इन विवरणों पर सनदी लेखाकार की पंजीकरण संख्या और उसके कार्यालय की मोहर या स्टाम्प अवश्य लगी होनी चाहिए।

16. इस विभाग से पूर्व में प्राप्त हुई अनुदान राशि का ब्यौरा, यदि कोई हो।

घोषणा

(आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर की जाए

इनमें इसके पूर्व दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं । कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने उन मार्गदर्शनों, निबंधनों और शर्तों को पढ़ लिया है जो स्कीम को अधि- शासित करते हैं और मैं/हम अपने संगठन/संस्था की ओर से उनका पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं । वित्तीय सहायता यदि प्रदान की गई हो तो, उपभोक्ताओं के अधिकारों या मानक चिह्नों की प्रोन्नति और संरक्षण के घोषित उपयोग के लिए प्रयोग की जाएगी ।(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

आवेदक

तारीख - - - - - - -

स्टेशन - - - - - - -- - -

सेवा में

सदस्य सचिव,

समिति (उपभोक्ता कल्याण कोष) ,

कृषि भवन, नई दिल्ली

टिप्पणी: कृपया नोट करें कि उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रपत्र क-1 में आवेदन के साथ निम्न निर्धारित शपथपत्र भी संलग्न किया जाए।

(10 ख के न्यायिकेतर स्टॉप पेपर पर टंकित किया जाए और नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाए)

<u>शपथपत्र</u>

मैंने---------- सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री ----------निवासी -------- ---------- और वर्तमान में मैसर्स ----------के अध्यक्ष/सचिव के रूप में कार्यरत एतद्द्वारा शपथपूर्वक घोषणा और अभिपुष्ट करता हूं कि मैसर्स (संगठन का नाम और पूरा पता) ने पिछले तीन वर्षों में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से निम्नलिखित सहायता अनुदान प्राप्त किए हैं :-

वर्ष	**धन देने वाले मंत्रालय/संगठन का नाम**	**प्राप्त अनुदान की राशि**	**अनुदान का उद्देश्य**	**स्वीकृति पत्र की संख्या और तारीख**

अभिसाक्षी

सत्यापन

यह सत्यापित किया जाता है कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में उक्त सूचना पूर्ण और सत्य है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि यदि एतद्द्वारा दी गई सूचना अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान को रद्द कर दिया जाए ।

वर्ष 2000 में आज ---------- माह के -------दिन सत्यापित

गवाह:

अभिसाक्षी

1.

2..

<u>केंद्रीय/राज्य सरकार/विभागों/निकायों के लिए</u>

फार्म क-1

1. आवेदक का नाम, विवरण और डाक का पूरा पता :

2. उद्देश्य जिसके लिए धनराशि अपेक्षित है:

3. अपेक्षित अनुदान की राशि:

4. चलाई गई गतिविधियों की समय सारिणी।

5. उपभोक्ता कल्याण कोष/उपभोक्ता मामले विभाग से पूर्व में लिए गए अनुदानों का ब्यौरा, यदि कोई हो:

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ----------

स्थान ----------

सेवा में

सदस्य सचिव,
समिति (उपभोक्ता कल्याण कोष),
कृषि भवन, नई दिल्ली।

उपभोक्ता कल्याण कोष

संशोधित दिशा-निर्देश

2007

उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

1.	प्रस्तावना	खण्ड-I
2.	उद्देश्य	खण्ड-II
3.	अनुदानों के वितरण को शासित करने वाली नीति	खण्ड-III
4.	प्रयोजन	खण्ड-IV
5.	अर्हता	खण्ड-V
6.	मदें, जिनके लिए सहायता दी जा सकती है	खण्ड-VI
7.	सहायता की मात्रा	खण्ड-VII
8.	वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	खण्ड-VIII
9.	प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया	खण्ड-IX
10.	निबंधन और शर्तें	खण्ड-X
• अनुदानग्राही संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की जांच सूची		अनुलग्नक-I
• प्राप्त हुए आवेदनों पर की गई कार्रवाई के लिए समय-सारणी		अनुलग्नक-II
• उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रपत्र (जी एफ आर 19-ए)		अनुलग्नक-III
• निधियन प्रतिबंधों और ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया		अनुलग्नक-IV

उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश

खण्ड-I

प्रस्तावना

केंद्र सरकार द्वारा 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम,1944 (1944 का 1) में उपभोक्ता कल्याण निधि सृजित करने के लिए संशोधन किया गया था जिसमें वह राशि जो निर्माताओं इत्यादि को वापिस नहीं की जानी हो, जमा की जाएगी। निधि में जमा कराई गई धनराशि का उपयोग केंद्र सरकार (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए किया जाएगा।

यह निधि राजस्व विभाग द्वारा स्थापित की गई है, तथा इसका प्रचालन उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली को 1992 में तैयार किया गया और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

नियमावली के तहत उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा की गई धनराशि के समुचित उपयोग के लिए सिफारिशें देने हेतु एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

खण्ड-II

उद्देश्य

उपभोक्ता निधि का समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण तथा देश में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है और देश में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करना है।

खण्ड-III

उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत अनुदानों के वितरण को शासित करने वाली नीति

अनुभव से पता चलता है कि जिन उपभोक्ता जागरुकता परियोजनाओं की कवरेज व्यापक है और जिनमें सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां अपनाई गई हैं उनका प्रभाव अधिक स्पष्ट है। अत: राष्ट्रीय, बहुराज्यीय और सभी राज्यों में कवरेज वाली

परियोजनाओं को उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्त पोषण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

देश भर में उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि स्थापित करने के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण निधि से भी निधियां दी जाएंगी ताकि स्थानीय महत्व की परियोजनाओं को कवरेज देने के लिए राज्य एजेंसियों अथवा स्थानीय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के जरिए छोटी छोटी परियोजनाओं को हाथ में ले सकें। राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि में से राज्य सरकारें उन परियोजनाओं को शुरु कर सकती हैं जिनको वे स्थानीय महत्व का समझती हैं। राज्य सरकारों द्वारा मानिटरिंग भी की जाएगी।

निधियां किसी राज्य में जिलों की संख्या के आधार पर एक फार्मूले के अनुसार 50:50 (विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 90:10) के आधार पर एक बारगी अनुदान के रूप में बीज राशि प्रदान की जाएगी। एक बारगी अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अपने हिस्से की राशि एक गैर योजना, गैर व्यपगमनीय लोक लेखा में जमा करनी होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें निधि के प्रशासन हेतु अपने दिशा निर्देश तैयार कर सकती हैं जो केंद्रीय दिशा-निर्देशों से असंगत नहीं होने चाहिए। राज्य सरकारें राज्य में स्कीम को चलाने के लिए एक नोडल एजेंसी/अधिकारी की शिनाख्त करेंगी।

आगे चलकर जिले और ब्लाक स्तरों पर विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

<u>खण्ड-IV</u>

प्रयोजन

वित्तीय सहायता मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जाएगी:-

- उपभोक्ता साक्षरता के प्रसार हेतु साहित्य और दृश्य श्रव्य सामग्री तैयार एवं वितरित करना और उपभोक्ता शिक्षा हेतु जानकारी बढ़ाने हेतु कार्यक्रम;
- राष्ट्रीय/क्षेत्रीय आधार पर उपभोक्ता शिक्षा तथा अन्य संबंधित मामलों में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए सुविधाएं स्थापित करना;
- समुदाय आधारित ग्रामीण जागरूकता संबंधी परियोजनाएं स्कूलों/कालेजों में उपभोक्ता क्लब;

- उपभोक्ता दिशानिर्देश ब्यूरो जैसे शिकायत निपटान/परामर्शदायी/दिशा निर्देश तंत्रों की स्थापना करना;
- उपभोक्ता उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना;
- जिला तालुक स्तरों पर उपभोक्ता शिक्षण गतिविधियों को स्थाई आधार पर चलाने हेतु आधारभूत सुविधाएं सृजित करना;
- प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पीठों/उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन, अनुसंधान/सेमिनार आदि के जरिए उपभोक्ता जागरूकता को आगे बढ़ाने में शैक्षिक तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों को शामिल करने की परियोजना;
- राज्यों/संघ राज्य क्षेंत्रों को उनके द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि को मजबूत करने के लिए निधियां देना;
- मानक चिन्हों से संबंधित गतिविधियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संस्तुत अनुदान, जिसको केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए अनिवार्य समझा जाए, उपलब्ध कराना;
- परामर्शदायी और श्रेणी कार्रवाई मुकदमों पर व्यय को पूरा करना;
- जो परियोजनांए उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आती हैं लेकिन स्थायी समिति की राय में, जो अत्यावश्यक सामाजिक समस्याओं को सुलझा सकती हैं और उपभोक्ता कल्याण का संवर्धन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में समिति को लिखित में कारण दर्ज करने होंगे।

<u>खण्ड-V</u>

अर्हता

कम्पनी अधिनियम,1956, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत पंजीकरण के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में संलग्न कोई एजंसी/संगठन,

टिप्पण-1: निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाएगी :-

(क) ऐसे संगठन जो अखिल भारतीय स्तर के हों और जिनकी प्रतिष्ठा, अनुभव और सक्षमता हो, अथवा

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन जिनमें महिलाओं और सामाजिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों की अधिक भागीदारी हो।

- कोई उद्योग अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अधीन यथापरिभाषित उद्योगों का संघ जो 5 वर्ष की अवधि से लाभकारी और सार्थक अनुसंधान

गतिविधियों में संलग्न हो, जिनमें आम खपत के उत्पादों के मानक चिह्न के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण योगदान किया हो या करने की संभावना हो।

- केंद्र/राज्य सरकार के विभाग/संगठन/उपक्रम/उपभोक्ता।
- वस्तुओं अथवा सेवाओं के किसी एक प्रदाता अथवा वर्ग के खिलाफ उपभोक्ताओं के सामान्य हित को परस्यू करने के लिए संस्थापित क्लास एक्सन स्पूट के लिए उपभोक्ता ग्रुप।

नोट- 2 : ऐसे प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर का हो, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में नवीकरणीय हो और जिनकी प्रतिकृति हो सके।

<u>खण्ड-VI</u>

मदें जिनके लिए सहायता दी जा सकती है

आवर्ती और गैर-आवर्ती व्ययों का निर्णय अलग-अलग स्कीमों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, आमतौर पर निम्नलिखित मदों के लिए सहायता दी जाएगी:-

- उपकरणों/इंटरनेट सेवाओं की खरीद (अल्पकालिक अध्ययनों से इतर गतिविधियों के लिए);
- न्यूनतम फर्नीचर की खरीद (अल्पकालिक अध्ययनों से इतर गतिविधियों के लिए);
- सेवाओं की डिलीवरी के लिए प्रभार;
- कार्यक्रम/परियोजना के समुचित संचालन के लिए स्थायी समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य प्रभार;
- विशेष परिस्थितियों में केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कार्यालय स्थान अथवा भवन के निर्माण/खरीद। यह इन शर्तों के अधीन होगा कि राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसा भी मामला हो या तो भवन निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि देकर या फिर भवन निर्माण की 30% लागत को वहन करके लागत के एक अंश में हिस्सा बटाएंगे। तथापि, स्थायी समिति मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित राशि की मात्रा के बारे में निर्णय लेगी।
- स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को प्रशासनिक व्यय के बावत सहायता अनुदान की अनुमति दी जाए ताकि उनकी प्रभावकारिता और गतिविधियों के विस्तार के न्यूनतम स्टाफ संरचना और सुयोग्य कार्मिक सुनिश्चित किए जा सकें वशर्ते अनुदान स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के कार्मिकों के वेतन और मंचों पर अनुमोदित प्रशासनिक व्यय के 25% से अधिक न हो तथा स्थायी कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी न हो।

तथापि, यह शर्त भारतीय विश्वविद्यालयों, नेशनल लॉ कालेजों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि में पीठें और उत्कृष्ठ केंद्रों की स्थापना के प्रस्तावों के मामले में लागू नहीं होगी।

खण्ड-VII

सहायता की मात्रा

किसी परियोजना के लिए सहायता की राशि 3 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्थायी समिति विशेष परिस्थितियों में अधिक राशि मंजूर कर सकती है जिसके लिए ऐसे अपवाद के लिए कारण दर्ज करने होंगे।

किसी अनुदानग्राही को सामान्यतया परियोजना की 10% लागत को अपने संसाधनों से पूरा करना होगा (यह योगदान नकद या जिन्स में हो सकता है)। तथापि, स्थायी समिति लिखित रूप में बताए गए कारणों से इस शर्त को आंशिक रूप से अथवा पूर्णत: माफ कर सकती है।

सहायता सामान्यत: 3 वर्षों के लिए होगी और बहुत कम मामलों एक या दो वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकेगी जिसके बाद इसके आत्मनिर्भर हो जाने की अपेक्षा की जाएगी। उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता बंद हो जाने के बाद परियोजना के संचालन और अनुरक्षण की व्यवस्था करना परियोजना धारक की जिम्मेदारी होगी।

खण्ड-VIII

वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन निम्नलिखित को भेजी जाए:-

सदस्य सचिव,
उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थायी समिति
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-क) में आवेदन सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और उसमें सभी ब्यौरे शामिल होने चाहिए। इसके साथ अनुलग्नक-1 पर चैकलिस्ट में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजन होने चाहिए।

किसी आवेदन को जब तक अलग-अलग स्कीमों में अन्यथा निर्धारित न हो, राज्य सरकार के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उपभोक्ता मामले विभाग जब कभी जरूरी हो, आवेदनों को छानबीन और सलाह/रिपोर्ट के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भेज सकता है।

खण्ड-IX

प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया

प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों की विभाग में जांच की जाएगी। कार्रवाई अनुलग्नक-2 में दी गई समय-सारणी के अनुसार होगी।

परियोजना मूल्यांकन:-

एक मूल्यांकन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(1) संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग।

(2) मुख्य लेखा नियंत्रक, उपभोक्ता मामले विभाग। यदि मुख्य लेखा नियंत्रक उपस्थित न हो पाएं तो अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार द्वारा नामित आंतरिक वित्त प्रभाग का अधिकारी

(3) केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के नामिति

मूल्यांकन समिति अनुदान प्राप्ति के बाद परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय अवधारणीयता और उपभोक्ताओं के लाभों के संबंध में मूल्यांकन करेगी। समिति परियोजना के स्वरूप के आधार पर यथाअपेक्षित विशेषज्ञ/ज्ञों को सहयोजित करेगी।

परियोजना प्रस्तावों का निरस्त करना

कोई प्रस्ताव अपूर्ण हो तो उसको प्रारंभ में ही अथवा मूल्यांकन अथवा अंतिम चरण में निरस्त किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्ताव को निरस्त करते समय विभाग निरसन पत्र में निरस्त करने के कारणों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख करेगा। निरसन के कारणों को मोटे तौर पर निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाएगा और यदि प्रस्ताव प्रथम दृष्टया अपूर्ण पाया जाता है/उपभोक्ता कल्याण कोष के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है तो उसको प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिन के भीतर औपचारिक तौर पर आवेदक को सूचित करना होगा। प्रस्ताव को बाद में मूल्यांकन के समय या स्थायी समिति द्वारा निरस्त किया जाएगा :-

(1) अर्हता मापदण्डों को पूरा नहीं करना

(2) अपेक्षित दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज नहीं/अपूर्ण योजना

(3) दिशा-निर्देशों में निर्धारित किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन नहीं करना।

(4) संगठन 'आगे सहायता रोक दी गई' श्रेणी के तहत हो या उसको किसी अन्य मामले में ब्लैकलिस्ट किया गया हो।

(5) एक बार में दो अधिक परियोजनाएं चला रहे हो/अन्यथा क्षमता की कमी हो।

(टिप्पण: सामान्यत: किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन द्वारा आवेदन की तारीख को विभाग द्वारा वित्त पोषित दो से अधिक चालू परियोजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चालू परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति होनी चाहिए। तथापि, विशेष मामलों में यदि चालू और नई परियोजनाओं की अनुरूपता स्थापित की जाती है और चालू परियोजनाओं की उल्लेखनीय परिणाम के रूप में तथा स्वतंत्रत मूल्यांकन के बाद प्रगति संतोषजनक हो तो अधिकतम तीन परियोजनाओं की मंजूरी दी जा सकती है।)

(6) संगठन की उपविधियां/उद्देश्य जो उपभोक्ता कल्याण/संरक्षण गतिविधियों को कवर नहीं करती हो।

(7) दूसरा अनुस्मारक भेजने के बाद 15 दिन तक प्रतीक्षा करने पर भी सुझावों का अनुपालन नहीं करना तथा स्पष्ट्रीकरण नहीं भेजना (अनुस्मारक पंजीकृती ए डी डाक से भेजा जाएगा)।

(8) ऐसी परियोजना जिसमें एकीकरण अथवा नवीनता का अभाव हो और औपचारिक स्वरूप का हो।

(9) प्रस्ताव पुनरावृत्ति मात्र हो।

(10) परियोजना प्रस्ताव भेजने वाला संगठन परिवार आधारित हो।

(11) संगठन के खिलाफ किसी शिकायत के मामले में चल रही जांच जिस जांच को पूरा होने में समय लगने की संभावना हो (टिप्पण: ऐसे मामलों में निर्णय को जांच पूरी होने तक प्रास्थगित किया जा सकता है)।

(12) परियोजना को तकनीकी/आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं पाया जाए या बनाए गए उद्देश्यों को पूरा न कर रही हो।

(13) संगठन परियोजना को ठेके पर देता हो तथा 25% से अधिक वास्तविक कार्य दूसरी एजेंसियों को देता हो।

(14) जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार से प्रतिकूल रिपोर्ट

(15) इस विभाग अथवा अन्य विभाग द्वारा वित्त पोषित चालू परियोजनाओं के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा/लेखा परीक्षा की प्रतिकूल रिपोर्ट ।

(16) संगठन के पास संबंधित क्षेत्र का कोई अनुभव न हो और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई संसाधन न हो।
(17) डबल डिपिंग (या मंच खोज) अर्थात एक से अधिक सरकारी एजेंसी से एक ही प्रयोजन के लिए निधियां प्राप्त करने को अयोग्यता माना जाएगा।

लाभभोगी संस्था से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि उसने विराधीन परियोजना अथवा कार्यक्षेत्र और विस्तार में काफी हद तक समान परियोजना के लिए किसी अन्य एजेंसी से निधियां प्राप्त नहीं की हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया जाएगा।

<u>खण्ड-X</u>

निबंध और शर्तें

1. अनुदान रिलीज करने से पहले अनुदानग्राही की कार्यकारी समिति के सदस्यों को एक बाण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे जो उनको संयुक्त रूप से और गंभीरतापूर्वक निम्नलिखित के प्रति अनुबंधित करेगा:-

(क) उसमें विनिर्दिष्ट लक्ष्य तिथि, यदि कोई हो, तक सहायता अनुदान की शर्तों का अनुपालन करना।

(ख) अनुदानों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं करना अथवा स्कीम या उससे संबंधित कार्य के कार्यान्वयन को अन्य संस्था(ओं) या संगठन(नों) को नहीं सौंपना।

(ग) सहायता अनुदान को शासित करने वाले करार में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों का अनुपालन करना।

यदि अनुदानग्राही शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है या बाण्ड का उल्लंघन करता है तो बाण्ड में हस्ताक्षर करने वाले संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से अनुदान को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से उस पर उपार्जित प्रचलित दर पर ब्याज (जो समय 10% प्रतिवर्ष है) के साथ अथवा बाण्ड में विनिर्दिष्ट राशि को भारत के राष्ट्रपति को वापस करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस बाण्ड पर स्टॉप शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान जैसे मामलों में, जहां ऐसा बाण्ड व्यवहारिक नहीं पाया जाता है अथवा विधिवत विचार करने के बाद मंजूरी प्राधिकारी बाण्ड पर जोर न देने का निर्णय देता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक होगा कि विभाग के हितों की प्रभावी ढंग से सुरक्षा हो)

2. परियोजना के संबंध में समुचित और पृथक बहीखाते रखे जाएंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए एक सनदी लेखापाल उनकी लेखा परीक्षा करेगा। उस अवधि के लिए लेखा परीक्षित प्राप्ति और भुगतान लेखे, आय और व्यय लेखे तथा तुलन पत्र के साथ-साथ लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट प्रतिवर्ष 30 जून तक विभाग को भेजी जाएगी।

3. आबंटित निधि का उपयोग कड़ाई से उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए वह आबंटित है और किसी भी हालत में उसको इतर प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाए।

4. प्रगति/कार्यान्वयन की तिमाही प्रगति रिपोर्टें विभाग को प्रस्तुत की जाएं। अनुदानग्राही संस्था को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर कार्य-निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी।

5. संगठन उपभोक्ता कल्याण कोष से दी गई वित्तीय सहायता से पूर्णत: अथवा पर्याप्त रूप से प्राप्त/विकसित किए गए सभी परिसम्पत्तियों - भौतिक और बौद्धिक का रिकार्ड रखेगा। ऐसी परिसम्पत्तियों को छोड़कर, जिनको सामान्य वित्तीय नियम 2005 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अप्रचलित और बेकार अथवा अनुपयुक्त घोषित किया गया हो, को पूर्व लिखिक मंजूरी के बिना उन प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए बेचा, निपटाया अथवा प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, जिनके लिए अनुदान दिए गए थे। यदि संगठन किसी समय अपना अस्तित्व खो देता है तो ऐसी परिस्थितियां सरकार को लौटाई जाएंगी। अनुदानग्राही संगठन निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा :-

- परिसम्पत्ति रजिस्टर जिसमें खरीद की तारीख, मूल्य और पंजीकरण विशिष्टियां, यदि कोई हो, दी गई हों।
- परियोजना रजिस्टर, जिसमें परियोजना का नाम, निधिकरण का स्रोत, मंजूरी की तारीख, पूरा करने की समय-सारणी, परियोजना का स्थान, लाभभोगी कवरेज आदि दिए गए हों।

परियोजना के पूरा हो जाने पर अथवा पहले समाप्त हो जाने पर विभाग इन परिसम्पत्तियों को विभाग अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति/निकाय को अंतरित करने का निदेश दे सकता है।

6. विभाग के पास अन्य पक्षकारों को तकनीकी ज्ञान के अंतरण के लिए आवश्यक रूपरेखा; विनिर्देशन और अन्य आंकड़े मंगाने का अधिकार होगा तथा परियोजनाधारक बिना किसी परिवर्तन के सभी अपेक्षित जानकारी भेजेंगे।

7. परियोजना के तहत किए गए अनुसंधान कार्य के आधार पर कागजात प्रकाशित करने का इच्छुक व्यक्ति विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा तथा उसके लिए विभाग से प्राप्त वित्तीय सहायता की पावती भी देगा।

8. परियोजनाधारक/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन परियोजना में विभिन्न मदों के लिए उपलब्ध निधियों का एक पक्षीय पुनर्विनियोजन नहीं करेगा, अर्थात् एक मद के लिए स्वीकृत राशि को विभाग की पूर्व लिखित सहमति/अनुमोदन के बिना अन्य मद पर खर्च नहीं करेगा।

9. जहां:-
(क) अनुदानग्राही 20 से अधिक व्यक्तियों को नियमित आधार पर रोजगार पर लगाता है तथा इसके आवर्ती व्यय का कम से कम 50% केंद्रीय सरकार के अनुदान से पूरा होता है, और
(ख) निकाय एक पंजीकृत सोसायटी अथवा सहकारी संस्था है और उसको भारत की संचित निधि से 20 लाख अथवा उससे अधिक का सामान्य प्रयोजन वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है,
अनुदानग्राही भारत सरकार द्वारा सूचित आधारों पर अपने नियंत्रणाधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा।

10. यदि स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के प्रबंधन में कोई परिवर्तन होता है तो स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का नया प्रबंधन निकाय भी परियोजना के लिए विभाग के निबंधनों और शर्तों से आबद्ध होगा और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन से इस आशय का एक शपथपत्र अनिवार्य होगा। प्रबंधन समिति के संघटन में परियोजना प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी स्तर पर होने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना 15 दिन के भीतर विभाग को दी जाएगी।

11. अनुदानग्राही को परियोजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रायेजक एजेंसी के नाम और निधियों के रिलीज आदि के साथ परियोजना के सभी ब्यौरे प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने की व्यवस्था करनी होगी।

12. परियोजना के सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रेखांकित चैक द्वारा (ए/सी पेई चैक) द्वारा की जाएगी। यदि सहायता अनुदान अनुदानग्राही संगठन के आवर्ती व्यय के 50% से अधिक हो तो परियोजना कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो केंद्रीय सरकार के वैसे ही कर्मचारियों के लिए निर्धारित हों।

13. अनुदानग्राही संस्थाओं/संगठनों के खातों का जब भी संस्था को ऐसा करने को कहा जाए, स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी और लेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अधिनियम,1971 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों के द्वारा निरीक्षण और मंत्रालय/विभाग के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा निरीक्षण की जा सकेगी। यदि संस्था को एक वित्तीय वर्ष में अनुदानों अथवा ऋणों की राशि 25 लाख रुपए से कम न हो और संस्था के कुल व्यय के 75% से कम न हो तो अनुदानग्राही संस्था/संगठन के खातों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम,1971 की धारा 14 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। यदि किसी विशेष वर्ष में अनुदानों अथवा ऋणों की राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा भी खातों की लेखा परीक्षा की जाएगी। जहां किसी वित्तीय वर्ष में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की इस प्रकार लेखा परीक्षा की जाती है, वहां वह भले ही ऊपर बताई गई शर्तें पूरी न हों, वह 2 वर्ष की अगली अवधि के लिए खातों की लेखा परीक्षा करता रहेगा।

अन्य सभी मामलों में संगठन अपनी रुचि के सनदी लेखा पालों से अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाएगा।

14. अनुदानग्राही द्वारा संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टें और लेखा परीक्षित खाते अपेक्षित संख्या में हिंदी और अंग्रेजी में विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा जिनको सामान्य वित्तीय नियम के नियम 212 (2)(1)(II) के अनुसार अनुदानग्राही संस्था के आगामी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 9 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा; यदि :-

(क) आवर्ती अनुदान 25 लाख रुपए या उससे अधिक हो या

(ख) एकबारगी सहायता के रूप में गैर आवर्ती अनुदान 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो।

तथापि, अनुदानग्राही संस्था के पास अनुदान के लिए एक पृथक खाता रखने का विकल्प होगा और केवल इस अनुदान के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करने होंगे।

15. विभाग अपने विवेक पर यदि अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के वार्षिक आवर्ती व्यय के 50% से अधिक हो तो अनुदानग्राही की कार्यकारी निकाय पर अपना प्रतिनिधि नामित करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

16. विभाग द्वारा दी गई मंजूरी को संगठन के मूल संकल्प के साथ मंजूरी जारी होने की तारीख से 45 दिन के भीतर स्वीकार करना होगा। निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति पत्र न भेजे जाने पर प्रस्ताव को नामंजूर किया जा सकता है।

17. यदि अनुदानग्राही शर्तों का अनुपालन नहीं कर सकता है अथवा बाण्ड की शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुदान रिलीज करने के बाद बाण्ड पर हस्ताक्षर करने वाले संयुक्त रूप से और गंभीरतापूर्वक अनुदान की समूची अथवा आंशिक राशि को 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से अथवा बाण्ड में विनिर्दिष्ट राशि को भारत के राष्ट्रपति को वापस लौटाने के जिम्मेदार होंगे।

18(क) आवर्ती अनुदानों के संबंध में विभाग उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत किसी राज्य को केवल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अनुदान के संबंध में अस्थायी आधार पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद ही रिलीज करेगा। उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कुल राशि के 75% से अधिक अनुदान को केवल अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र और पूर्व वर्ष में रिलीज सहायता अनुदान से संबंधित लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत किए जाने के बाद ही रिलीज किया जाएगा।

(ख) जब आवर्ती सहायता अनुदान एक ही संस्था अथवा संगठन को एक ही प्रयोजन के लिए दिया जाता है, तो पिछले वर्ष के अनुदान की खर्च नहीं की गई शेष राशि तथा उस पर उपार्जित ब्याज को उत्तरवर्ती अनुदान मंजूर करते समय हिसाब में लिया जाएगा।

(ग) विशिष्ट प्रयोजन के लिए गैर आवर्ती अनुदानों के मामले में वह समय-सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसके भीतर अनुदान अथवा इसकी प्रत्येक किस्त की राशि को खर्च करना होगा।

19. परियोजना धारक/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, जहां आवश्यक हो, परियोजना के सम्यक विस्तार के लिए परियोजना की समाप्ति की तारीख से तीन माह पहले तक अनुमोदन प्राप्त करेगा जैसा कि मूल रूप में दिखाया गया है। जहां परियोजना धारक ने

भी परियोजना की अवधि को बढ़ाने के लिए विभाग से लिखित में अनुमति प्राप्त नहीं की है, वहां परियोजना की समाप्ति की तारीख के तीन माह के अन्दर संदर्भित लेखा परीक्षित लेखों के साथ निधियों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जैसाकि मूल रूप में दिखाया गया है।

20. परियोजना धारक परियोजना के लिए विभाग से प्राप्त सभी प्रकार की सहायता के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगा और विभाग को बैंक के नाम और खाता संख्या बताएगा।

21. यदि ऊपर उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन होता है अथवा निधियों का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो विभाग अनुदानग्राही को कारण बताने का एक मौका देकर उसको रिलीज की गई समूची या कुछ मात्रा निधि को उस पर उपार्जित ब्याज सहित वापस ले सकता है अथवा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, प्रगति पर्याप्त नहीं होती अथवा निधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

22. संविदा का सार है कि विभाग की निधियां 'सार्वजनिक निधियां' हैं और ये उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए हैं तथा परियोजना धारक को यह सहायता इस विश्वास के साथ दी जा रही है कि निधि का प्रयोग इन निबंधनों और शर्तों के अनुसार परियोजना के लिए ईमानदारी, बुद्धिमतापूर्वक और सार्वजनिक हित में किया जाएगा।

23. परियोजना धारक उसके रिलीज की गई राशि में से उस भाग को उस पर उपार्जित ब्याज सहित विभाग को वापिस करेगा जो परियोजना अवधि की समाप्ति तक खर्च न की गई हो अथवा उससे पहले उस प्रयोजन के लिए वह राशि अपेक्षित न हो, जिसके लिए उसे रिलीज किया गया था।

24. विभाग को सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान एवं लेखा अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग को किए जाएंगे।

25. उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। जहां अनुदानग्राही से ऐसा प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अंदर प्राप्त नहीं होता, वहां विभाग संस्था अथवा संगठन को सरकार से किसी भी प्रकार के भावी अनुदान, सब्सिडी अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ब्लैकलिस्ट करने के लिए स्वतंत्र होगा।

26. परियोजना हस्तांतरणीय नहीं है और परियोजना धारक कार्यान्वयन के उस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को नहीं सौंपेगा जिसके लिए सहायता मंजूर की गई है। परियोजना धारक द्वारा उप संविदा के मामले में तत्काल दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

27. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को अनुलग्नक-IV में निर्धारित प्रक्रिया में सूचीबद्ध कारणों से तथा उस प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद परियोजना अवधि के दौरान सहायता रोकी जा सकती है और/अथवा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

अनुलग्नक-I

उपभोक्ता कल्याण निधि (सी डब्ल्यू एफ) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अनुदानग्राही संगठन द्वारा फार्म-ए । में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच-सूची

1.	आवेदक/संगठन का नाम और कार्यालय का पूरा पता	
2.	आवेदन करने वाले संगठन की प्रकृति(अर्थात पंजीकृत सोसाइटी/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत कम्पनी/पंजीकृत सहकारी सोसाइटी इत्यादि) और अधिनियम, जिसके अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया।	
3	पंजीकरण की तिथि और पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि	
4	प्रचालन का क्षेत्र - क्या आवेदक एक राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर का संगठन है।	
5	संगठन के उद्देश्यों की संक्षिप्त रूपरेखा, जैसाकि इसके समझौते अनुच्छेद तथा उपनियमों में उल्लेख किया गया है।	
6	प्रबंध समिति/शासी निकाय सदस्यों की अद्यतन सूची और पदाधिकारियों का नाम और पता और उनका व्यवसाय।	
7	क्या आवेदक(यदि संगठन अन्य उद्योग से भिन्न है) पिछले तीन वर्षों से उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है, अथवा (यदि उद्योग हो) पिछले 5 वर्षों से उपभोक्ता अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है।	
8	**आवेदक ने निम्नलिखित प्रस्तुत कर दिए हैं :-**	
(i)	एसोसिएशन का ज्ञापन और अनुच्छेद	
(ii)	संगठन के नियम/उप नियम	
(iii)	वार्षिक रिपोर्टें, लेखा-परीक्षित लेखा तथा	

	पिछले तीन वर्ष का तुलन-पत्र।	
(iv)	चालू तथा अगले वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना	

(v)	पैन (PAN) संख्या से संबंधित दस्तावेज तथा आयकर विभाग से प्रमाण का 12 ए के अंतर्गत छूट आदेश अथवा इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया विभाग का प्रमाण अथवा अनुरोध पत्र(प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के नाम दें)।	
(vi)	पिछले तीन वर्षों के लेन-देन को दर्शाने वाली बैंक/डाकघर की पास बुक की प्रतिलिपि।	
(vii)	बैंक प्रबंधक/पोस्टमास्टर का प्रमाण-पत्र जिसमें इस बात का संकेत हो कि खाता पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू रहा है।	
(viii)	संगठन के कार्यपालक निकाय/प्रबंध समिति के वर्तमान सदस्यों द्वारा यथाविधि हस्ताक्षरित एक संकल्प।	
(ix)	एक प्रमाण-पत्र कि संबंधित परियोजना ने कोई निधि प्राप्त नहीं की है, प्राप्त नहीं कर रहा है, न ही वे समान परियोजना के लिए समान लाभभोगियों को शामिल करते हुए किसी अन्य केंद्रीय सरकार, विभाग, राज्य सरकार, अंतरराष्ट्रीय अथवा किसी अन्य एजेंसी से पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से किसी वित्त पोषण हेतु आवेदन करेंगे।	
(x)	एक प्रमाण-पत्र कि उपभोक्ता कल्याण/संरक्षण, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों में से एक है।	
(xi)	एक प्रमाण पत्र कि संगठन सहायता अनुदान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य शर्त सहित मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथा	

	उल्लिखित सामान्य सिद्धांतों तथा नियम और शर्तों को स्वीकार करने तथा उनका अनुसरण करने हेतु तैयार है।	
(xii)	एक प्रमाण-पत्र कि संगठन के कार्यपालक निकाय/प्रबंध समिति के सदस्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है अथवा एक ही परिवार के नहीं हैं।	
(xiii)	यह प्रमाण-पत्र कि स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को विभाग के इन संगठनों की सूची में नहीं रखा गया है, जिनके लिए वित्त पोषण को कृताकृत के लिए निरस्त अथवा स्थगित कर दिया गया है।	
(xiv)	विभाग में प्रस्तुत किए गए आवेदन की तारीख को स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभाग द्वारा वित्त-पोषित चालू परियोजनाओं की सूची।	
9.	उद्देश्य, जिसके लिए आवेदन किय गया है(कृपया उन कार्यकलापों के लिए निर्देशों की धारा VII देखें, जो सहायता के लिए निहित हैं)।	
•	उपभोक्ता साक्षरता प्रसार हेतु साहित्य तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना और वितरण करना तथा उपभोक्ता शिक्षा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम बनाना।	
•	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय आधार पर उपभोक्ता शिक्षा तथा संबंधित मामलों में प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु सुविधाओं की स्थापना करना।	
•	समुदाय आधारित ग्रामीण जागरूकता परियोजनाएं, विद्यालयों/महाविद्यालयों में उपभोक्ता क्लब	
•	शिकायत निवारण/परामर्श सेवा/मार्गदर्शन तंत्र जैसे उपभोक्ता मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना करना	
•	उपभोक्ता उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उपभोक्ता शिक्षा कार्यकलापों के आयोजन हेतु जिला/तालुक स्तरों पर स्थायी	

	आधार पर आधार-भूत संरचना सुविधाएं तैयार करना।	
•	जिला/तालुका स्तर पर स्थायी आधार पर	
	सुप्रसिद्ध संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पीठ/उत्कृष्टता केंद्र का सृजन/अनुसंधान/संगोष्ठियों इत्यादि के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए सुप्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों को शामिल करने हेतु परियोजनाएं।	
•	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें वित्तपोषित करना।	
•	मानक चिह्नों से संबंधित कार्यकलापों के लिए ब्यूरो द्वारा संस्तुत अनुदान को उपलब्ध कराना जिसे केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए आवश्यक समझा गया है। उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु केंद्र सरकार द्वारा संस्तुत अनुदान को उपलब्ध करना।	
•	वकालत तथा कार्रवाई मुकदमे दायर करने पर होने वाले व्यय को वहन करना।	
10	निधियों की वर्षवार आवश्यकयता और निधियों के स्रोत (निजी/सी डब्ल्यू एफ से अनुदान/कोई अन्य) सहित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव।	
11	मांगे गए अनुदान की धनराशि	
12	प्रस्तावित कार्यकलापों को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा	
13	परियोजना का संभावित परिणाम तथा संभावित रूप से प्राप्त किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य।	
14	कार्यकलापों को पूर्ण करने के लिए बकाया धनराशि की निधियों के स्रोत - सरकारी/गैर सरकारी	
15	आवेदक द्वारा इस विभाग से पहले प्राप्त किया गया अनुदान और उसके ब्यौरे	
16	ऐसे अनुदान से संबंधित ब्यौरे और इसका	

	उपयोग और यू सी निपटान(सैटलमेंट)।	
17	प्राप्ति की तारीख, प्रयोजन तथा राशि और इसके उपयोग का उल्लेख करते हुए गत 5 वर्ष के केंद्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभाग से प्राप्त किसी अनुदान के ब्यौरे	
(i)	यह प्रमाण-पत्र कि आवेदक ने कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया/किसी अन्य स्रोत से इसी प्रयोजन के लिए अनुदान प्राप्त करने का प्रस्ताव नहीं है।	
(ii)	यह प्रमाण-पत्र कि आवेदक के विरुद्ध निधियों के दुरुपयोग के लिए किसी समय भी मुकदमा नहीं हुआ है अथवा पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई न्यायालय मामला विचाराधीन नहीं है।	
18	(क) पिछले वित्त वर्ष के लिए संगठन के कार्मिकों के वेतन और भत्ते पर हुए लेखा-परीक्षित प्रशासनिक व्यय।	
	(ख) चालू वित्त वर्ष के लिए संगठन के कार्मिकों के वेतन पर होने वाले प्रत्याशित प्रशासनिक व्यय	
19	क्या संगठन/संस्थान इसके आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक को सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करता रहा है।	
20	संगठन के पास नियमित आधार पर उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या और उनका व्यय कैसे पूरा किया जाता है।	
21	क्या संगठन/संस्थान एक पंजीकृत अथवा सहकारी संस्थान है तथा उसे भारत की समेकित निधि से 20 लाख रुपए या उससे अधिक का सामान्य प्रयोजन का वार्षिक सहायता अनुदान प्राप्त हो रहा है।	
22	चालू वित्त वर्ष के लिए संगठन/संस्थान का अनुमानित कुल व्यय	
23	उन वर्षों की संख्या, जिनके लिए सहायता मांगी गई है तथा किस तरह से अनुदान मिलने के बाद की अवधि में परियोजना कार्यकलापों	

	को जारी रखा जाएगा।	

अनुलग्नक-II

प्राप्त हुए आवेदनों पर की गई कार्रवाई के लिए समय सारणी

चरण	कार्यकलाप और निर्णय लेने का स्तर	समय-सारणी
1.	प्रस्तावों की छानबीन और राज्य सरकार की टिप्पणियों के लिए भेजना/प्रारंभिक छानबीन (उपभोक्ता कल्याण कोष अनुभाग द्वारा) पर नामंजूरी, उप सचिव स्तर पर निर्णय।	प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर
2.	मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। मूल्यांकन समिति:-	चरण 1 के 21 दिनों के अंदर
	(1) कारण बताकर प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है; या	
	(2) सूचना में कमियां बता सकती है/स्पष्टीकरण मांग सकती है/आवेदन को आशोधित करने का निदेश दे सकती है	
	(3) स्थायी समिति (मूल्यांकन समिति द्वारा) द्वारा अनुमोदन की सिफारिश कर सकती है।	
3.	2(i) अथवा 2(ii) के मामले में समिति का निर्णय आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।	मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति के 2 कार्य दिवस के भीतर।
3.1	2(ii) के मामले में आवेदक के जबाव देने का समय	सामान्यत: पत्र प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर। तथापि, मूल्यांकन समिति सूचना भेजने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकती है, यदि उसको लगता है कि मांगी गई सूचना के लिए

		अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।
3.2	2(ii) के मामले में मूल्यांकन समिति की अंतिम सिफारिश	पूरी सूचना प्राप्त होने के दो सप्ताह के अंदर
4.	स्थायी समिति की बैठक	जब कभी आवश्यक हो, लेकिन तिमाही में कम से कम एक बार
5.	कार्यवृत्त को अंतिम रूप देना (उपभोक्ता कल्याण कोष अनुभाग द्वारा)	बैठक की तारीख से एक सप्ताह के अंदर।
6(क)	प्रस्तावों की छानबीन तथा आंतरिक वित्त प्रभाग की स्वीकृति के लिए भेजना। (संयुक्त सचिव के अनुमोदन के बाद उपभोक्ता कल्याण निधि द्वारा)	जिन प्रस्तावों के लिए और आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए स्थायी समिति के कार्यवृत्त की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अतिरिक्त स्पष्टीकरण की प्राप्ति से एक सप्ताह के अंदर (जिनमें स्पष्टीकरण मांगा गया है)।
6(ख)	आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा स्वीकृति/अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, शामिल करने के लिए अनुभाग को वापस (प्रश्न बहुत विशिष्ट होना चाहिए।)	प्रस्ताव की प्राप्ति के एकसप्ताह के अंदर। यदि आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा फाइल अतिरिक्त जानकारी के लिए भेजी गई है, तो उसे वापस प्राप्त होने पर आंतरिक वित्त प्रभाग की स्पष्ट सिफारिश के साथ सचिव (उ.मा.) को प्रस्तुत किया जाएगा (फाइल की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर)
7.	अंतिम आदेश के बाद स्वीकृति पत्र जारी करना।	तीन कार्य दिवस
	टिप्पणी: अंतिम आदेश सामान्यत: स्थायी समिति की बैठक के 3 सप्ताह के अंदर जारी किया जाता है। प्रस्ताव की प्राप्ति से स्वीकृति पत्र जारी	

	करने तक लिया गया कुल समय सामान्यत: 3 से साढ़े तीन माह होगा बशर्ते प्रस्ताव सभी तरह से पूर्ण हो।

अनुलग्नक-III

प्रपत्र जी.एफ.आर.19-ए

(नियम 212(i) देखें)

उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रपत्र

क्र.सं.	**पत्र सं. और तारीख**	**राशि**
	कुल:	

प्रमाणित किया जाता है कि हाशिए में दिए गए इस मंत्रालय/विभाग के पत्र संख्या के अंतर्गत ---------- के पक्ष में ----------वर्ष के दौरान स्वीकृत ---------- रुपए की अनुदान सहायता और पिछले वर्ष के ---------- ---- रुपए के अव्ययित शेष में से ----------रुपए की राशि ---------- के प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था और वर्ष के अंत में प्रयोग न की गई ---------- रु. की शेष राशि (---------- दिनांक के पत्र सं. ---------- के तहत) सरकार को वापिस कर दी गई है/अगले वर्ष के दौरान देय अनुदान सहायता में समयोजित की जाएगी।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं संतुष्ट हूं कि शर्तें जिन पर अनुदान सहायता स्वीकृत की गई थी, विधिवत पूरी की गई है/पूरी की जा रही है और मैंने निम्न जांच कर ली है कि धन का उस प्रयोजन के लिए वास्तविक रूप में प्रयोग किया गया था जिसके लिए इसे स्वीकार किया गया था ।

की गई जांच के प्रकार:-

1.
2.
3.
4.
5.

सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर और मोहर हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति सं. ---------- पदनाम (संगठन का सचिव)

मोहर और तारीख

अनुलग्नक-IV

निधियन प्रतिबंध के लिए प्रक्रिया और ब्लैकलिस्टिंग

आगे की सहायता रोकना

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को निम्न आधारों पर निधियन प्रतिबंध के अंतर्गत रखा जा सकता है:-

- यदि परियोजनाधारक परियोजना के मूल्यांकन संचालन के लिए नियंत्रक से सहयोग नहीं करता है।
- यदि परियोजनाधारक प्रगति रिपोर्ट, लेखों के परीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
- यदि परियोजनाधारक विभाग की अनुमति के बिना निधियों को कहीं और लगाता है/लाभभोगियों का परिवर्तन करता है/परियोजना के स्थान में परिवर्तन करता है।

संगठन को, विभाग द्वारा लिखित रूप में लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में सूचित किया जाएगा। इसे तीन माह की अवधि के अंदर त्रुटियों को सुधारने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसा न किया जाने पर संगठन की ब्लैकलिस्टिंग की निर्धारित प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा।

ब्लैकलिस्टिंग श्रेणी

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को निम्न आधारों पर ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता है :-

- यदि परियोजनाधारक ने एक से अधिक स्रोत से निधियां प्राप्त की हैं अथवा प्राप्त करता है अथवा उन्हीं लाभभोगियों को कवर करते हुए उसी परियोजना के लिए पूर्णत: अथवा अंशत: किसी अन्य विभागीय/गैर-विभागीय, अंतर्राष्ट्रीय अथवा किसी अन्य एजेंसी से निधियां प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है।
- स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन में प्रधान पदाधिकारी अपराधिक आचरण/सार्वजनिक निधियों के दुर्विनियोजन में लगे हुए हैं।

- पर्याप्त अवसर देने के बावजूद निर्धारित कार्य पूरा न करने के लिए।
- परियोजना के अंतर्गत सृजित/प्राप्त की गई सम्पत्तियों को समुदाय/लाभभोगियों को सौंपने से मना करने/परियोजना के अंतर्गत बचत/अव्ययित शेष/उपलब्ध प्रतिदेय अनुदान को वापिस करने में असमर्थ होने पर
- प्रधान पदाधिकारी विभाग के कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं और संगठन इस तथ्य को छुपाता है।
- यदि संगठन की कार्यकारी/शासी/प्रबंधन निकाय के दो से अधिक सदस्य रिश्तेदार/परिवार के सदस्य हैं अथवा इनमें से दो बैंक खाता संचालन में सह-हस्ताक्षरी है और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन इन तथ्यों को छुपाता है।
- अन्य विभागीय संगठनों आदि द्वारा ब्लैकलिस्टिड स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन।

संगठन को ब्लैकलिस्ट करने के बाद, इसे एक माह की अवधि के अंदर प्रश्नगत निधि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। संगठन द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने पर, विभाग उपलब्ध वसूली उपायों के माध्यम से उक्त राशि की वसूली करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा। संगठन के पास आदेश जारी होने से 3 माह के अंदर ब्लैकलिस्टिंग आदेश के विरुद्ध अपील करने का अवसर होगा। उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थायी समिति इस अपील पर विचार करेगी। निर्णय की सूचना संगठन को भेज दी जाएगी।